भारत सरकार



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)



Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / 06 / 33 / 2016 / एफ0सी0 / 60

दिनॉक : 28 / 4 / · / ८

सेवा में,

विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

विषयः बिजनौर में बिजनौर—नूरपुर मार्ग किमी० 6 की दायीं पटरी पर ग्राम— महगाली के खसरा संख्या—524, 527, 528 एवं 534 में मैसर्स लीला फार्म हाउस द्वारा विकसित किये जा रहे बैंकट हाल के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0465 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक— पी—50 / 14—2—2016—800 (52) / 2016, दिनांक— 12.04.2016 महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपके पत्र का संदर्भ लेते हुए सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव के निरिक्षण के उपरान्त प्रस्ताव में त्रुटियाँ पायी गयी हैं जो निम्नलिखित है—

- 1. As per the details provided at A1 (ix) the information regarding requirement of non forest land is incorrect.
- 2. As per part II Sr no. 5 detail regarding working plan prescription for the forest land proposed for diversion is mentioned as "No Data" which is incorrect.
- 3. The .kml file uploaded with the proposal includes non forest land also which is incorrect. Correct .kml files in CD also needs submission with GPS coordinates of the key points defining the polygon/polygons of forest land proposed for diversion.
- 4. Most of the undertakings/certificates have not been certified by the concerned DCF.
- 5. The proposal is without submission of calculation for NPV levies.
- 6. At several places seal of concerned officials have not been affixed.
- 7. The user agency has not provided undertaking for abiding with conditions imposed by SPWD.
- 8. The forest land notification has not been vetted/authenticated by the concerned DCF.
- 9. The site suitability certificate for compensatory afforestation is not as per approved format.
- The certificate regarding FRA 2006 is incorrect.
- The compensatory afforestation scheme has been taken for 0.5 ha of plantation whereas diversion is of 0.0465 ha only which is more than 10 times of the proposed forest land diversion. Reasons for this may be communicated.
- The site inspection report is without seal of the concerned DCF and is also in complete which shows that he has signed the paper without reading it.

- The .kml/.shp file of proposed compensatory afforestation needs submission in CD for GIS DSS analysis.
- The digital map (hard copy) submitted with the proposal is of no use as it does not show the coordinates of the proposed land in diversion.

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके संशोधित प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें।

प्राप्त प्रस्ताव मूल रूप में वापस किया जाता है। संलग्नक- मूल प्रस्ताव

> भवदीय, (बृजेन्द्र स्वरूप) वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

2. वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद, उ० प्र०।

3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर, उ० प्र०।

4. 🗝 नरेश कुमार वर्मा, लीला फार्म (बैंकट हाल) निकट रूटस इंटरनेशनल स्कूल, नूरपुर रोड, बिजनौर, उ० प्र०।

5. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

6. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप) वन संरक्षक (केन्द्रीय)